



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1771]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2010/भाद्र 4, 1932

No. 1771]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 26, 2010/BHADRA 4, 1932

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2010

का.आ. 2088(अ).—सतत कार्बनिक प्रदूषक होने के कारण लिंडेन को अत्यधिक परिसंक्रमित कीटनाशी के रूप में चिह्नित किया गया है; और

कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 5 के अधीन गठित की गई रजिस्ट्रीकरण समिति ने देश में लिंडेन के आयात, विनिर्माण और उपयोग को चरणबद्ध रूप से बंद करने की अनुशंसा की है; और

केन्द्रीय सरकार ने रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा की गई सिफारिश पर विचार किया है; और

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करने का प्रस्ताव करती है, अर्थात् :-

'प्रारूप आदेश'

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लिंडेन पर पाबंदी आदेश, 2010 है।

(2) ये आदेश राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. कोई व्यक्ति लिंडेन का विनिर्माण, आयात और सूत्रण राजपत्र में इस आदेश के अंतिम प्रकाशन की तारीख से नहीं करेगा।

3. दो वर्ष की अवधि के पश्चात् कोई व्यक्ति राजपत्र में इस आदेश के अंतिम प्रकाशन की तारीख से लिंडेन का उपयोग नहीं करेगा।

3368 GI/2010

4. उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन लिंडेन के लिए प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रद्द समझा जाएगा।

5. उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक राज्य सरकार ऐसे सभी उपाय करेगी, जो वह राज्य में इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

वह प्रारूप आदेश, जिसे केन्द्रीय सरकार बनाने का प्रस्ताव करती है, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप आदेश पर उस तारीख से, जिसको उस आदेश वाले भारत के राजपत्र की प्रतियाँ, जिसमें यह आदेश अंतर्विष्ट हो, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

इस प्रारूप आदेश के संबंध में, कोई सुझाव या आक्षेप विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को भेज सकेंगे।

[फा. सं. 19-5/2008-पीपी. 1]

पंकज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2010

S.O. 2088(E).—Whereas, Lindane has been identified as a highly hazardous insecticide being a persistent organic pollutant; and,

Whereas the Registration Committee constituted under Section 5 of the Insecticides Act 1968 (46 of 1968) has recommended phasing out import, manufacture and use of Lindane in the country; and,

Whereas the Central Government has considered the recommendation made by the Registration Committee; and,

Therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 27 read with Section 28 of the said Act, the Central Government proposes to make the following order, namely :—

‘Draft Order’

1. (1) This order may be called the Banning of Lindane Order, 2010.

(2) It shall come into force on the date of final publication of this Order in the Official Gazette.

2. No person shall manufacture, import or formulate Lindane from the date of final publication of this order in the Official Gazette.

3. No person shall use Lindane after the period of two years from the date of final publication of this Order in the Official Gazette.

4. The certificate of registration for Lindane granted under the Section 9 of the said Act shall be deemed to be cancelled.

5. Every State Government shall take all such steps under the provisions of the said Act and the rules framed thereunder, as it considers necessary for the execution of this order in the state.

The draft order, which the Central Government proposes to make, is hereby published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft order shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this Order are made available to the public.

Any suggestion or objection in respect of this draft order may be forwarded to the Central Government so as to reach within the period specified to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Krishi Bhavan, New Delhi-110001.

[F. No. 19-5/2008-PP. I]

PANKAJ KUMAR, Jt. Secy.